बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

पत्रांक : 11/वि० 11–12/2023 2159 पटना, दिनांक 06/10/2023

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),

बिहार, पटना।

औपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा : वित्त विभाग।

विषय :"बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023" के आलोक में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पूर्व से उच्च माध्यमिक शिक्षक के 18830 सृजित एवं रिक्त पद, माध्यमिक शिक्षक के 18880 सृजित एवं रिक्त पद एवं वर्ग 6 से 8 तक के 31982 सृजित एवं रिक्त पद को प्रत्यार्पित करते हुए वर्ग 11 से 12 तक के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के 18830 पद, वर्ग 9 से 10 तक के अध्यापन हेतु विद्यालय अध्यापक के 18880 पद एवं वर्ग 6 से 8 तक के अध्यापन हेतु विद्यालय अध्यापक के 31982 पद के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश : स्वीकृत।

राज्य में प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर प्रभावी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक का एक नया संवर्ग का गठन किए जाने हेतु "बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023" अधिसूचित की गई है।

2. "बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023" के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि, यथा दिनांक–10.04.2023 के उपरांत बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2006 (समय–समय पर यथा संशोधित), बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020, बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं

उच्च माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2006 (समय–समय पर यथा संशोधित), बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020, बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2012 (समय–समय पर यथा संशोधित), बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020, बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2012 (समय–समय पर यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। अंकनीय है कि उक्त नियमावलियों के अधीन नियुक्ति हेतु पूर्व में सृजित पद के विरूद्ध जिलों से प्राप्त उच्च माध्यमिक शिक्षक के विभिन्न विषयों में 18830 सृजित पद, माध्यमिक शिक्षक के विभिन्न विषयों में 18880 सृजित पद एवं वर्ग 6 से 8 तक के विभिन्न विषयों के 31982 शिक्षकों के सृजित पदों पर नियुक्ति किया जाना है।

3. "बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023" में वर्णित प्रावधानों के आलोक में शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय/राजकीयकृत/ प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक एवं उत्क्रमित/नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ग 11 से 12 तक के अध्यापन हेतु 18830 विद्यालय अध्यापक, वर्ग 9 से 10 तक के अध्यापन हेतु 18880 विद्यालय अध्यापक एवं वर्ग 6 से 8 तक के अध्यापन हेतु 31982 विद्यालय अध्यापक के पद पर विषयवार नियुक्ति प्रस्तावित है (अनुलग्नक–1, 2 एवं 3 संलग्न)। इन विद्यालय अध्यापकों का संवर्ग जिला स्तरीय होगा।

4. विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाऐंगे। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से पात्र अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन कर इसकी अनुशंसा शिक्षा विभाग को की जायेगी। शिक्षा विभाग द्वारा उक्त अनुशंसा को संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जो इस संवर्ग के विद्यालय अध्यापक के नियुक्ति प्राधिकार होंगे, को नियुक्ति हेतु अग्रसारित कर दिया जायेगा।

5. विद्यालय अध्यापक के नवसृजित होने वाले विषयवार पदों को शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यकतानुरूप जिलों को आवंटित किया जायेगा। संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा विषयवार पद को आवश्यकतानुरूप विद्यालयों को उपावंटित किया जायेगा।

6. **वार्षिक व्यय भार** :– उक्त नियमावली, 2023 के अधीन विद्यालय अध्यापक के नवसृजित पद का वेतनादि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाने का प्रावधान है। तदनुरूप उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्ग 11 से 12 के 18830 विद्यालय अध्यापक का वेतनादि मूल वेतन 32,000/– (प्रति विद्यालय अध्यापक), वर्ग 9 से 10 के 18880 विद्यालय अध्यापक का वेतनादि मूल वेतन 31,000/– (प्रति विद्यालय अध्यापक) एवं वर्ग 6 से 8 के 31982 विद्यालय अध्यापक का वेतनादि मूल वेतन 28,000/– (प्रति विद्यालय अध्यापक) एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पद देय भत्ते (महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं मकान किराया भत्ता) पर विद्यालय अध्यापक का पद सृजित किये जाने पर कुल वार्षिक व्यय भार ₹55,12,12,82,400/– (रूपये पचपन अरब बारह करोड़ बारह लाख बयासी हजार चार सौ मात्र) होगी। इससे संबंधित विवरणी अनुलग्नक–4 के रूप में संलग्न है।

7. **बजटीय शीर्षः**– विद्यालय अध्यापक के सृजित पद पर नियुक्ति के उपरांत उनके वेतनादि का भुगतान वित्त विभाग द्वारा निर्धारित संगत शीर्ष एवं विपत्र कोड में विकलनीय होगा।

8. दिनांक–19.09.2023 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या–37 के रूप में पृष्ठ–51/टि0 पर प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

6.10.23

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक: 11/वि0 11–12/2023 2159 पटना, दिनांक 06.10.2023

प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6.10.23

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक: 11/वि० 11-12/2023 2159 पटना, दिनांक 06/10/2023

प्रतिलिपि : राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्/निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/वित्त विभाग (योजना एवं बजट)/योजना एवं विकास विभाग/संबंधित सहायक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)/बजट शाखा/लेखा शाखा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6.10.23

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक: 11/वि० 11-12/2023 2159 पटना, दिनांक 06/10/2023

प्रतिलिपि : प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6.10.23.

सरकार के संयुक्त सचिव।

6/10/2023

अनुलग्नक–1

पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के सृजित पद जिन्हें प्रत्यार्पित किया गया है।

क्र0	विषय का नाम	पदों की संख्या
1	भौतिकी	1919
2	रसायनशास्त्र	1857
3	गणित	1651
4	वनस्पतिशास्त्र	561
5	जन्तु विज्ञान	400
6	हिन्दी	1169
7	अंग्रेजी	1971
8	उर्दू	333
9	इतिहास	691
10	राजनीति विज्ञान	594
11	अर्थशास्त्र	168
12	भूगोल	501
13	गृह विज्ञान	505
14	मनो विज्ञान	1114
15	समाज शास्त्र	823
16	दर्शनशास्त्र	108
17	संगीत	582
18	कम्प्यूटर विज्ञान	172
19	बंगला	7
20	अरबी	14
21	भोजपुरी	2
22	मैथिली	155
23	पाली	4
24	फारसी	21
25	संस्कृत	186
26	एन.आर.बी.	2704
27	इ0पी0एस0	363
28	बिजनेस स्टडीज	93
29	लेखाशास्त्र	162
	योग	18830

अनुलग्नक–2		
पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के सृजित पद जिन्हें प्रत्यार्पित किया गया है।		
क्र०	विषय का नाम	पदों की संख्या
1	सामाजिक विज्ञान	1922
2	गणित	2206
3	विज्ञान	2320
4	हिन्दी	3423
5	अंग्रेजी	3465
6	संस्कृत	1856
7	उर्दू	1219
8	संगीत	1068
9	ललितकला	284
10	नृत्य	391
11	शारीरिक शिक्षा	556
12	मैथिली	80
13	अरबी	15
14	फारसी	49
15	बंगला	26
	योग	18880

अनुलग्नक–3		
पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक के सृजित पद जिन्हें वर्ग 6 से 8 के पद पर प्रत्यार्पित किया गया है।		
1	पदों की संख्या	**31982**

अनुलग्नक–4

शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के सृजित किये गए पद के लिए वार्षिक व्यय भार की गणना।

Sl.	Category	No of Teacher	Basic	DA (42%)	HRA (8%)	CTA-1500+DA	MA	Net Salary	Pension (14%)	Gross Salary	Annual Expenditure
1	विद्यालय अध्यापक (XI-XII)	18830	32000	13440	2560	2130	1000	51130	4480	55610	12565635600
2	विद्यालय अध्यापक (IX-X)	18880	31000	13020	2480	2130	1000	49630	4340	53970	12227443200
3	विद्यालय अध्यापक (VI-VIII)	31982	28000	11760	2240	2130	1000	45130	3920	49050	30328203600
	कुल										**55121282400**

रूपये पचपन अरब बारह करोड़ बारह लाख बेयासी हजार चार सौ मात्र।